

Original Article

इस्लामी शिक्षाओं के आलोक में जल संकट और परिवार कल्याण: एक संचार-केंद्रित दृष्टिकोण

डॉ. मो. सरफराज अंसारी¹, रूबीना परवीन²

¹असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली।

²आलिमा, अरबिक बैचलर स्टूडेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

Email: apsarfaraz@gmail.com

Manuscript ID:

सारांश

JRD -2025-171114

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 11(A)

Pp. 87-94

November. 2025

यह शोध पत्र इस्लामी शिक्षाओं के भीतर एक महत्वपूर्ण प्रतीति होने वाले विरोधाभास का विश्लेषण करता है: एक ओर जल संरक्षण पर अत्यधिक बल और दूसरी ओर संतानोत्पत्ति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन। इक्कीसवीं सदी में बढ़ते जल संकट और अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में, यह द्वात एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। यह पत्र इस्लामी न्यायशास्त्र (फ़िक्ह) के सिद्धांतों, विशेष रूप से 'मक्सासिद अल-शरिया' (शरिया के व्यापक उद्देश्य) और 'मस्लहा' (सार्वजनिक हित) का उपयोग करते हुए इस तनाव को संबोधित करने का प्रयास करता है। शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि इन शिक्षाओं में कोई स्थायी विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक गतिशील संतुलन है जिसे समकालीन चुनौतियों के आलोक में समझने की आवश्यकता है। निष्कर्ष यह है कि जीवन और संसाधनों के संरक्षण के व्यापक इस्लामी उद्देश्यों के तहत, सतत संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो जनसंख्या संबंधी विमर्श को केवल संख्यात्मक वृद्धि से हटाकर मानव कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर केंद्रित करता है। यह शोध इस परिकल्पना की भी पड़ताल करता है कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के प्रोत्साहनात्मक उपदेशों को 'गुणवत्तापूर्ण मानव विकास' के रूप में पुनर्व्यख्यायित और सामान्यीकृत किया जा सकता है।

Submitted: 16 Oct. 2025

Revised: 26 Oct. 2025

Accepted: 10 Nov. 2025

Published: 30 Nov. 2025

बीज शब्द: इस्लामी शिक्षा, परिवार नियोजन, जलसंकट, पर्यावरण, सततविकास

परिचय

जल संरक्षण में जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक और टिकाऊ ढंग से उपयोग करने तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को शामिल किया गया है। इसमें जल की बर्बादी को कम करना, प्रदूषण को रोकना और जल स्रोतों को पुनः भरने के तरीकों को लागू करना शामिल है। जीव की उत्पत्ति में जल का अस्तित्व बहुत महत्व रखता है। कुरान (सूरह अल-अंबिया 21:30) के साथ ही एवल्यूशन थीउरी के अनुसार पहला जीव जल में ही उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज जल का संकट हम सब के सामने है। नदी के किनारे पर भी बैठ कर हमें उपचारित जल ही पीना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि भी मानवता के लिए एक समस्या ही बताई जा रही है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म, इस्लाम में इन दोनों (जल और जीवन) के विषय में जो शिक्षा दी गई है वह पूरे विश्व के लिए बहुत महत्व रखता है। इक्कीसवीं सदी मानवता के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, जिनमें जल संकट और जनसंख्या वृद्धि का दबाव बड़ी समस्याओं में से है। इसी संदर्भ में, यह शोध पत्र इस्लामी परंपरा के भीतर एक महत्वपूर्ण विमर्श की पड़ताल करता है। एक ओर जल संरक्षण पर दिया गया अत्यधिक बल और दूसरी ओर संतानोत्पत्ति को दिया जाने वाला प्रोत्साहन।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>

DOI:

[10.5281/zenodo.18066883](https://doi.org/10.5281/zenodo.18066883)



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. मो. सरफराज अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली।

How to cite this article:

अंसारी, . सरफराज ., & परवीन, . रूबीना . (2025). इस्लामी शिक्षाओं के आलोक में जल संकट और परिवार कल्याण: एक संचार-केंद्रित दृष्टिकोण. *Journal of Research and Development*, 17(11(A)), 87–94.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18066883>

जहाँ कुरान और हदीस स्पष्ट रूप से पानी को जीवन का आधार मानते हुए उसकी बर्बादी (इसराफ़) को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं, वहीं वे एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन और वंश वृद्धि को भी एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों के आगमन से पहले इन दोनों शिक्षाओं में कोई प्रत्यक्ष तनाव नहीं देखा गया। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि के वर्तमान दौर में, इन शिक्षाओं के बीच का संबंध एक जटिल विश्लेषण की मांग करता है। यह शोध पत्र इसी वैचारिक खाई को पाटने का प्रयास करता है। यह एक सरल विरोधाभास प्रस्तुत करने के बजाय, एक अधिक सूक्ष्म और गहन प्रश्न पूछता है: इस्लामी न्यायशास्त्र (फ़िक्ह) के सिद्धांतों, विशेष रूप से 'मस्लहा' (सार्वजनिक हित) और 'मक्कासिद अल-शरिया' (शरिया के व्यापक उद्देश्य), का उपयोग करते हुए आधुनिक जल संकट और जनसंख्या दबाव के बीच के तनाव को कैसे संबोधित किया जा सकता है?

यह शोध पत्र इस परिकल्पना की भी पड़ताल करेगा कि यदि इस्लामी ग्रंथों में लगभग 14.5 सौ साल पहले दिया गया पानी बचाने का उपदेश आज पूरी दुनिया में सामान्यीकृत हो चुका है, तो क्या इस्लामी ग्रंथों में जनसंख्या वृद्धि के लिए दिए गए प्रोत्साहनात्मक उपदेश भी आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया में सामान्यीकृत हो सकते हैं?

अंततः, यह शोध पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि इस्लामी शिक्षाओं में कोई अंतर्निहित और स्थायी विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक गतिशील संतुलन है जिसे समकालीन चुनौतियों के आलोक में समझने की आवश्यकता है। 'मक्कासिद अल-शरिया' के मूलभूत उद्देश्यों—विशेष रूप से जीवन का संरक्षण (हिफ़ज़ अल-नफ़्स) और संपत्ति का संरक्षण (हिफ़ज़ अल-माल)—के तहत, पृथ्वी के सीमित संसाधनों, विशेषकर जल का सतत प्रबंधन, एक प्राथमिक नैतिक और धार्मिक दायित्व बन जाता है। यह प्राथमिकता जनसंख्या संबंधी विमर्शों को एक नई दिशा प्रदान करती है, जो केवल संख्या वृद्धि पर नहीं, बल्कि मानव कल्याण और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर केंद्रित है।

1 इस्लामी धर्मग्रंथों में जल संरक्षण और वंशवृद्धि का सिद्धांत

इस्लामी शिक्षाओं के मूल में प्राकृतिक संसाधनों और मानव समाज की निरंतरता को लेकर एक सूक्ष्म संतुलन मौजूद है। यह संतुलन जल संरक्षण के कठोर निर्देशों और वंशवृद्धि (procreation) को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के बीच स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जल संरक्षण: एक ईश्वरीय अमानत

इस्लामी धर्मशास्त्र में पानी को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं देखा जाता; यह एक पवित्र अमानत, जीवन का प्रतीक और अल्लाह की दिव्य उदारता का एक गहरा संकेत है। इसका संरक्षण एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है, जो कुरान और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की शिक्षाओं में गहराई से निहित है। यह दृष्टिकोण पानी को महज़ एक संसाधन से ऊपर उठाकर एक ऐसी दिव्य नेमत (आशीर्वाद) का दर्जा देता है, जिसके प्रति मनुष्य जवाबदेह है।

इस्लामी धर्मशास्त्र में पानी का केंद्रीय महत्व कुरान की उस मौलिक घोषणा से स्थापित होता है, "और हमने पानी से हर जीवित चीज़ बनाई" (सूरह अल-अंबिया 21:30)। यह आयत महज़ एक जैविक तथ्य नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। यह मानती है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन, चाहे वह पौधे हों, जानवर हों या इंसान, अपने अस्तित्व के लिए पानी पर निर्भर है। इस आयत के गहरे निहितार्थ हैं। पानी अल्लाह की रचना करने की असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इसे संरक्षित करना उस शक्ति का सम्मान करना है। चूँकि सभी जीवित प्राणी पानी पर निर्भर हैं, यह उनके बीच एक अंतर्निहित संबंध और एकता स्थापित करता है। पानी का संरक्षण केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। इस्लाम में पानी न केवल भौतिक शुद्धि (जैसे वुज़ू और गुस्ल) के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। वुज़ू के दौरान पानी का उपयोग पापों के धुलने का एक प्रतीकात्मक कार्य है, जो पानी के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है।

कुरान फ़िज़ूलखर्ची या बर्बादी, जिसे 'इसराफ़' कहा जाता है, की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, और यह सिद्धांत पानी के उपयोग पर विशेष रूप से लागू होता है। आयत "...खाओ और पियो और फ़िज़ूलखर्ची मत करो। वास्तव में, वह (अल्लाह) फ़िज़ूलखर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता।" (सूरह अल-अ'राफ़ 7:31) एक व्यापक नैतिक ढाँचा प्रदान करती है। यह उपभोग के प्रति एक संतुलित और सचेत दृष्टिकोण का आग्रह करती है। जब इस सिद्धांत को पानी पर लागू किया जाता है, तो इसका अर्थ है; पानी जैसी कीमती नेमत को बर्बाद करना कृतघ्नता का कार्य है और यह दर्शाता है कि व्यक्ति अल्लाह के उपहारों का मूल्य नहीं समझता। पानी को बर्बाद करना दूसरों के अधिकारों का हनन है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बर्बाद किया गया पानी किसी ज़रूरतमंद के हिस्से का हो सकता था। इस्लाम में पानी को एक मुदायिक संसाधन माना जाता है, और इसका दुरुपयोग एक सामाजिक पाप है। इसराफ़ पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण पर दबाव डालता है, जिससे सूखा और अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम) का जीवन कुरान की शिक्षाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन है। पानी के संरक्षण के संबंध में उनकी हदीसों अत्यधिक प्रभावशाली हैं। सबसे प्रसिद्ध हदीसों में से एक सुनन इब्न माजा में वर्णित है, जहाँ उन्होंने साद (रज़ियल्लाहु अन्हु) को वुज़ू के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हुए देखा और उन्हें टोका। जब साद ने आश्चर्य से पूछा कि क्या पानी के उपयोग में भी बर्बादी हो सकती है, तो पैगंबर ने जवाब दिया, "हाँ, भले ही तुम एक बहती नदी के किनारे हो।" इस हदीस की गहराई बहुत महत्वपूर्ण है; यह शिक्षा देती है कि संसाधनों का संरक्षण तब भी अनिवार्य है जब वे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दिखें। यह एक मानसिकता बनाने के बारे में है, जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में सचेत और ज़िम्मेदार रहता है। वुज़ू इबादत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक कृत्यों के दौरान भी संसाधनों की बर्बादी अस्वीकार्य है। यह धर्म और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को एक साथ जोड़ता है। एक बहती नदी से पानी लेने से तात्कालिक कमी नहीं होती, लेकिन यह मानसिकता भविष्य में संसाधनों की कमी का कारण बन सकती है। यह हदीस हमें भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है।

इस्लामी धर्मशास्त्र पानी को एक पवित्र अमानत के रूप में देखता है, जिसे अल्लाह ने अपनी सृष्टि को सौंपा है। इसका संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह ईमान, न्याय और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता का एक अभिन्न अंग है। फ़िज़ूलखर्ची की मनाही और पैगंबर का व्यक्तिगत उदाहरण मुसलमानों को एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए मार्गदर्शन करता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण हो और सभी जीवित प्राणियों के अधिकारों का सम्मान करती हो।

जनसंख्या वृद्धि: एक सामुदायिक आशीर्वाद और निरंतरता

इस्लामी परंपरा में परिवार और वंश वृद्धि की अवधारणा को एक बहुआयामी और गहरे दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो केवल सामाजिक या जैविक निरंतरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक, नैतिक और सामुदायिक कर्तव्य भी है।

इस्लाम में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि 'मिसाक़-ए-ग़लीज़' (एक मज़बूत और पवित्र समझौता) और एक महत्वपूर्ण इबादत (उपासना) माना जाता है। यह महज़ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है जिसका उद्देश्य एक नेक और संतुलित समाज की नींव रखना है। पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब कोई बंदा निकाह कर लेता है, तो वह अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है।" यह इस बात पर ज़ोर देता है कि विवाह व्यक्ति को स्थिरता, ज़िम्मेदारी और कई तरह के गुणों (जैसे व्यभिचार) से बचाता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा मज़बूत होती है। कुरान में अल्लाह तआला फ़रमाता है, "और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी।" (सूरह अर-रूम, आयत 21)। इसका अर्थ है कि विवाह का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आश्रय बनाना भी है जहाँ पति-पत्नी एक-दूसरे से प्रेम, दया और शांति प्राप्त करें। इसी शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण में एक स्वस्थ पीढ़ी की परवरिश संभव है।

कुरान और हदीस में संतान को बार-बार अल्लाह के एक अनमोल उपहार और कृपा के रूप में वर्णित किया गया है। वे सांसारिक जीवन की सुंदरता और रौनक हैं। सूरह अल-कहफ़ (आयत 46) में कहा गया है, "माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की ज़ीनत (शोभा) हैं।" यह आयत इस बात को रेखांकित करती है कि संतान जीवन में खुशी, उद्देश्य और पूर्णता का एहसास लाती है। इस्लाम इस दृष्टिकोण में एक संतुलन भी स्थापित करता है। जहाँ एक ओर संतान को उपहार बताया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक परीक्षा (फ़ितना) भी कहा गया है। कुरान में आता है, "और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो बस एक आजमाइश हैं।" (सूरह अल-अनफ़ाल, आयत 28)। इसका तात्पर्य यह है कि माता-पिता की यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी संतान की परवरिश इस्लामी मूल्यों, नैतिकता और मानवता की शिक्षाओं के अनुसार करें। संतान का होना एक बड़ी अमानत है जिसके बारे में क़ायमत के दिन पूछा जाएगा। पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने अपने अनुयायियों (उम्मत) को एक मज़बूत और बड़ा समुदाय बनाने के लिए स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया। आपका यह प्रोत्साहन केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नेक, शिक्षित और शक्तिशाली समाज के निर्माण के लिए था। आपकी प्रसिद्ध हदीस, "ऐसी औरतों से शादी करो जो बहुत मोहब्बत करने वाली (वदूद) और ज़्यादा बच्चे जनने वाली (वलूद) हों, क्योंकि क़ायमत के दिन मैं तुम्हारी तादाद के ज़रिए दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र (गर्व) करूंगा।" (अबू दाऊद)। पैगंबर (ﷺ) का अपनी उम्मत की संख्या पर गर्व करने का उद्देश्य यह था कि एक बड़ी और नेक आबादी समुदाय की शक्ति, प्रभाव और स्थिरता का स्रोत होती है। यह समुदाय मानवता की भलाई के लिए अधिक सकारात्मक योगदान दे सकता है।

इस्लाम में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना जाता, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत माना जाता है। इस दृष्टिकोण से, नेक संतान माता-पिता के लिए एक अनमोल आध्यात्मिक निवेश है। पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने फ़रमाया, "जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल (कर्म)

का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के: सद्का-ए-जारिया (जारी रहने वाला दान), या ऐसा इल्म (ज्ञान) जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे।" (सहीह मुस्लिम)। इस हदीस के अनुसार, यदि माता-पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और नैतिक मूल्य देते हैं, तो वह संतान जीवन भर जो भी अच्छे कार्य करेगी और अपने माता-पिता के लिए दुआ करेगी, उसका पुण्य (सवाब) मृत्यु के बाद भी माता-पिता के खाते में जुड़ता रहेगा। यह अवधारणा माता-पिता को अपनी संतान की परवरिश पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह उनकी अपनी आखिरत (परलोक) की सफलता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से, विशेषकर इस्लाम के शुरुआती दौर और मध्य युग में, एक बड़ी आबादी को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता था। कृषि-आधारित समाजों में अधिक हाथ का मतलब अधिक उत्पादन और आर्थिक मज़बूती थी। एक बड़ा कबीला या समुदाय बाहरी खतरों से अपनी बेहतर ढंग से रक्षा कर सकता था। एक बड़ी आबादी ज्ञान, संस्कृति और धर्म के प्रसार में सहायक होती थी। यह मानव जाति की निरंतरता और अल्लाह के संदेश को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी था। इस्लाम में वंश वृद्धि और परिवार के विस्तार को एक पवित्र कर्तव्य, अल्लाह का उपहार, पैगंबर की सुन्नत, और मृत्यु के बाद भी लाभ देने वाले एक आध्यात्मिक निवेश के रूप में देखा जाता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत खुशी, सामाजिक स्थिरता और आध्यात्मिक सफलता को एक साथ जोड़ता है।

2 आधुनिक संदर्भ: आँकड़े और उभरती चुनौतियाँ

21वीं सदी एक गहरे और जटिल जनसांख्यिकीय विरोधाभास (Demographic Paradox) से परिभाषित है। यह एक ऐसी दुनिया है जो एक ही समय में दो विपरीत संकटों का सामना कर रही है: एक छोर पर जनसंख्या विस्फोट का दबाव है, तो दूसरे छोर पर जनसंख्या में गिरावट का राष्ट्रीय खतरा। यह द्वैत केवल आँकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरण और यहाँ तक कि धार्मिक शिक्षाओं के लिए भी एक गंभीर व्यावहारिक चुनौती बन गया है। आपके द्वारा दिया गया विश्लेषण इसी विरोधाभास के केंद्र में इस्लामी शिक्षाओं के सामने खड़ी दुविधा को उजागर करता है।

मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका (MENA) और दक्षिण एशिया के कई मुस्लिम-बहुल देशों में जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक है। इसके पीछे पारंपरिक, सामाजिक और धार्मिक कारण हैं, जहाँ बड़े परिवार को अक्सर एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, आधुनिक समय में इस तीव्र वृद्धि ने कई गंभीर संकटों को जन्म दिया है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका दुनिया के सबसे अधिक जल-संकट वाले क्षेत्र हैं। बढ़ती आबादी का सीधा मतलब है पीने, स्वच्छता और कृषि के लिए पानी की बढ़ती मांग, जो पहले से ही दुर्लभ भूजल और नदी प्रणालियों को समाप्त कर रही है। अधिक लोगों का पेट भरने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है और खाद्य आयात पर निर्भरता बढ़ती है, जो देशों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। इन देशों में एक बड़ी युवा आबादी है, जिसे अक्सर "यूथ बल्ल" कहा जाता है। यदि इन युवाओं को पर्याप्त शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं, तो यह सामाजिक अशांति, प्रवासन और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त स्कूल, अस्पताल, आवास और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना सरकारों के लिए एक निरंतर चुनौती बनी रहती है।

इसके ठीक विपरीत, दुनिया के कई विकसित देश एक अलग ही अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं: उनकी आबादी घट रही है और तेजी से बूढ़ी हो रही है। केस स्टडी के रूप में देखा जाए तो यूनान (Greece) का "राष्ट्रीय खतरा" इस संकट का एक ज्वलंत उदाहरण है। 2008 के आर्थिक संकट ने इस समस्या को और गहरा कर दिया। बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली युवा बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़कर चले गए, जिसे "ब्रेन ड्रेन" कहा जाता है। इसके साथ ही, उच्च जीवन लागत और सामाजिक बदलावों के कारण यूरोपीय संघ की सबसे कम प्रजनन दरों (प्रति महिला ~1.4 बच्चे) में से एक यहाँ है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए यह दर 2.1 होनी चाहिए। जब बच्चे ही नहीं होंगे, तो स्कूल खाली हो जाएंगे। 750 से अधिक स्कूलों का बंद होना इस बात का प्रतीक है कि देश की नींव कमजोर हो रही है। एक घटती और बूढ़ी होती आबादी का अर्थ है एक छोटा कार्यबल (Workforce), कम नवाचार (Innovation) और एक विशाल पेंशन बोझ, जो अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है।

इस "राष्ट्रीय खतरे" से निपटने के लिए, सरकार ने 1.6 बिलियन यूरो के विशाल पैकेज की घोषणा की है, जो दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। इसमें नकद प्रोत्साहन, टैक्स में छूट और आवास सहायता शामिल है ताकि युवा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

यूनान अकेला नहीं है। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह कर रही हैं। इटली की सरकार सीधे तौर पर 'जन्म बोनस' (Baby Bonus) दे रही है। फ़िनलैंड का 'मैटरनिटी पैकेज' या 'बेबी बॉक्स' विश्व प्रसिद्ध है। यह सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि समाज और सरकार हर नए बच्चे का स्वागत करते हैं और परिवार का समर्थन करते हैं। जापान और

दक्षिण कोरिया, ये देश दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का सामना कर रहे हैं। यहाँ की सरकारें वित्तीय सहायता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सरकारी सब्सिडी वाले बाल देखभाल केंद्र (Daycare Centers) खोल रही हैं ताकि कामकाजी माता-पिता के लिए बच्चों की परवरिश आसान हो सके। चीन का उदाहरण सबसे नाटकीय है। दशकों तक जबर्न 'एक-बच्चा नीति' लागू करने के बाद, अब वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज वह न केवल तीन बच्चों की अनुमति दे रहा है, बल्कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि जनसंख्या में गिरावट कितनी विनाशकारी हो सकती है।

यह वैश्विक विरोधाभास इस्लामी शिक्षाओं को एक महत्वपूर्ण चौराहे पर लाता है। एक तरफ वंश वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली सदियों पुरानी परंपरा है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की कठोर पर्यावरणीय और सामाजिक वास्तविकताएं हैं।

मूल प्रश्न यह है, क्या एक ऐसी परंपरा जो जल संरक्षण को एक धार्मिक कर्तव्य मानती है (पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने बहती नदी के किनारे भी वजू में पानी बर्बाद करने से मना किया है), वह उस अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की अनदेखी कर सकती है जो सीधे तौर पर जल संकट को बढ़ा रही है?

यह मुद्दा इस्लामी सिद्धांतों के बीच टकराव नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन खोजने का है। आधुनिक इस्लामी विद्वान और विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम का उद्देश्य केवल संख्या में बड़ी उम्मत बनाना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, शिक्षित, और मजबूत (गुणात्मक रूप से बेहतर) उम्मत का निर्माण करना भी हो सकता है। इस्लाम सिखाता है कि मनुष्य पृथ्वी पर अल्लाह का खलीफ़ा (उत्तराधिकारी या प्रबंधक) है। इस भूमिका में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों की रक्षा करें, न कि उन्हें नष्ट कर दें। इस संदर्भ में, परिवार नियोजन (Family Planning) को संतानोत्पत्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि परिवार और समाज के कल्याण के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य बच्चों के जन्म को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य देने के लिए गर्भधारण के बीच अंतर सुनिश्चित करना भी हो सकता है।

21वीं सदी की चुनौतियां इस्लामी शिक्षाओं को खारिज नहीं करतीं, बल्कि उन्हें समकालीन संदर्भ में समझने और लागू करने की मांग करती हैं। समाधान वंश वृद्धि की परंपरा को पूरी तरह से नकारने में नहीं है, बल्कि "अंधाधुंध वृद्धि" के बजाय "जिम्मेदार परवरिश" पर ध्यान केंद्रित करने में है। एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना जो न केवल संख्या में बड़ी हो, बल्कि शिक्षित, स्वस्थ, नैतिक रूप से मजबूत और अपने ग्रह के संसाधनों का सम्मान करने वाली हो—यही सार आज के समय में इस्लामी शिक्षाओं की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

3 विरोधाभास का विश्लेषण: इस्लामी न्यायशास्त्र के माध्यम से सामंजस्य

इस प्रतीत होने वाले विरोधाभास को हल करने के लिए, आधुनिक दौर में शास्त्रीय न्यायशास्त्र के गहन सिद्धांतों की ओर रुख किया जा सकता है।

मक्कासिद अल-शरिया (Maqasid al-Shari'ah): यह सिद्धांत कहता है कि इस्लामी कानून के कुछ सार्वभौमिक उच्च उद्देश्य हैं, जिनमें जीवन का संरक्षण (Hifz al-Nafs) सर्वोपरि है। इस ढांचे के तहत, जब वंश बढ़ाने की क्रिया जीवन के संरक्षण (जल की कमी के कारण) के लिए खतरा बन जाती है, तो जीवन के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मस्लहा (Maslaha): यह सिद्धांत सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने और नुकसान को दूर करने पर जोर देता है। यदि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से व्यापक जल संकट, अकाल, और सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है, तो यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित के विरुद्ध है। इस स्थिति में, 'मस्लहा' के सिद्धांत का उपयोग परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

4 इस्लामी शिक्षाओं का सामान्यीकरण: जल संरक्षण से जनसंख्या प्रबंधन तक

यह शोध पत्र इस परिकल्पना को सामने रखता है कि जिस प्रकार जल संरक्षण का इस्लामी उपदेश आज एक सार्वभौमिक पर्यावरणीय नैतिकता बन चुका है, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के प्रोत्साहनात्मक उपदेश भी भविष्य में एक नए, परिवर्तित अर्थ में सामान्यीकृत हो सकते हैं। "वंश वृद्धि" के पारंपरिक अर्थ को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता हो सकती है। "गुणवत्तापूर्ण जीवन" और "आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण" केवल संख्या बढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस संदर्भ में, "वंश वृद्धि" का अर्थ "स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त भविष्य की पीढ़ियों को सुनिश्चित करना" में बदल सकता है, बजाय केवल "अधिक संख्या में बच्चों" के। यह एक प्रकार का "गुणात्मक सामान्यीकरण" होगा, जहां धार्मिक प्रोत्साहन का मूल इरादा (समुदाय की शक्ति) बरकरार रहता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के तरीके आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप बदल जाते हैं।

5 गुणवत्ता पर बल: परवरिश की इस्लामी ज़िम्मेदारी

यह गुणात्मक बदलाव इस्लामी शिक्षाओं के भीतर अपरिचित नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म बच्चों की अच्छी परवरिश (तरबियत), शिक्षा (तालीम) और देखभाल को माता-पिता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य मानता है। इस्लाम सिर्फ बच्चे पैदा करने पर नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्तापूर्ण परवरिश को माता-पिता का प्राथमिक कर्तव्य बताता है।

कुरआन की शिक्षा: कुरआन माता-पिता को अपनी संतान को एक नेमत (आशीर्वाद) और एक आजमाइश (परीक्षा) दोनों के रूप में देखने के लिए कहता है। सूरह अत-तहरीम (आयत 6) में आदेश दिया गया है, "ऐ ईमान लाने वालो! अपने आपको और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ...", जिसकी व्याख्या अच्छी शिक्षा और परवरिश से की जाती है।

हदीस (पैगंबर ﷺ के कथन): पैगंबर मुहम्मद (ﷺ) ने बच्चों के अधिकारों और उनकी परवरिश के महत्व पर बहुत ज़ोर दिया है। आपने फ़रमाया, "कोई भी वालिद (पिता) अपनी औलाद को अच्छी तरबियत (अच्छी परवरिश) से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दे सकता।" (जामिअत-तिर्मिज़ी)। एक और हदीस में कहा गया है, "तुम में से हर कोई एक निगरां (संरक्षक) है और हर किसी से उसकी निगरानी में रहने वालों के बारे में सवाल किया जाएगा।" (सहीह अल-बुखारी)।

परवरिश के इन प्रमुख इस्लामी सिद्धांतों में धार्मिक शिक्षा, नैतिक विकास, सांसारिक ज्ञान, प्रेम और करुणा, तथा लड़के-लड़कियों में बिना भेदभाव के बराबरी का व्यवहार शामिल है। यह स्पष्ट करता है कि इस्लामी दृष्टिकोण में संख्या से अधिक महत्व गुणवत्ता का हो सकता है।

शोध निष्कर्ष

मानव सभ्यता का इतिहास जल के प्रवाह के साथ-साथ लिखा गया है। यह केवल जीवन का स्रोत ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और अस्तित्व का केंद्र भी है। इसी गहन सत्य को इस्लामी शिक्षाओं में एक विशेष स्थान दिया गया है, जहाँ जल को एक पवित्र अमानत और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। इन शिक्षाओं में जल संरक्षण के जो स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, वे केवल पर्यावरणीय नैतिकता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका एक गहरा और व्यावहारिक संबंध उन उपदेशों से भी है जो जनसंख्या वृद्धि और जीवन की निरंतरता को प्रोत्साहित करते हैं। यह संबंध एक नाजुक संतुलन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य पानी से उत्पन्न हुए जीव को उसकी गुणात्मक उत्कृष्टता और संख्यात्मक स्थिरता के साथ बनाए रखना है।

इस्लाम में पानी की महत्ता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पवित्रता और जीवन की उत्पत्ति का आधार माना गया है। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि "हमने पानी से हर जीवित चीज़ बनाई।" यह आयत जल को सृष्टि के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्थापित करती है। इसी कारण, इसके उपयोग में मितव्ययिता और संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की शिक्षाएँ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जहाँ उन्होंने एक बहती नदी के किनारे भी वजू (स्नान) करते समय पानी बर्बाद करने से मना किया है। यह निर्देश केवल पानी की कमी के समय के लिए नहीं, बल्कि हर परिस्थिति के लिए एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। यह सिखाता है कि संसाधन चाहे कितने भी प्रचुर क्यों न हों, उनका उपयोग ज़िम्मेदारी और कृतज्ञता के साथ किया जाना चाहिए।

इसी दार्शनिक ढाँचे के समानांतर, इस्लामी परंपरा में परिवार के विस्तार और एक स्वस्थ, जीवंत समुदाय के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया है। पहली नज़र में, यह विरोधाभासी लग सकता है कि एक ओर सीमित संसाधन (जल) के संरक्षण की बात की जाए और दूसरी ओर उस पर निर्भर आबादी की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों शिक्षाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। इनका साझा लक्ष्य "जीवन" का सम्मान और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना है। जनसंख्या वृद्धि का प्रोत्साहन निरंकुश और अनियोजित विस्तार के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए है जो स्वस्थ, शिक्षित और नैतिक रूप से मजबूत हो। ऐसा समाज ही प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर जल, के मूल्य को समझेगा और उसकी रक्षा के प्रति सचेत रहेगा। इस प्रकार, जल संरक्षण जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जबकि जनसंख्या का प्रोत्साहन उस जीवन की निरंतरता को बल देता है। दोनों मिलकर एक संतुलित और टिकाऊ अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

आज जब मानवता तकनीकी प्रगति के नए क्षितिज तलाश रही है और भविष्य में अंतरग्रहीय बस्तियों की स्थापना की कल्पना कर रही है, तब भी पृथ्वी पर जल संरक्षण की अनिवार्यता कम नहीं होती। इसके विपरीत, यह हमारी पृथ्वी को जल के प्राथमिक और अमूल्य स्रोत के रूप में और अधिक प्रतिष्ठित करती है। किसी अन्य ग्रह पर जीवन के लिए कृत्रिम रूप से जल उत्पन्न करने या उसे बनाए रखने की जटिलता और लागत हमें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध इस अनमोल उपहार के प्रति और अधिक आभारी और ज़िम्मेदार बनाती है। अंतरिक्ष की विशाल रिक्तता में पृथ्वी एक नीले मरुद्धान की तरह है, और इसकी यह विशिष्टता पूरी तरह से पानी की उपस्थिति पर निर्भर है। अतः, भविष्य की कोई भी तकनीकी छलांग हमें इस ग्रह पर अपने मौलिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं कर सकती।

यहीं पर इस्लामी शिक्षाओं की पुनर्व्याख्या और उन्हें समकालीन चुनौतियों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जल संरक्षण के इस्लामी उपदेशों ने अपनी गहरी नैतिकता के कारण वैश्विक प्रासंगिकता प्राप्त की है और आज वे सतत विकास लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रोत्साहनों को भी भविष्य के संदर्भ में एक नए, गुणात्मक अर्थ में सामान्यीकृत किया जा सकता है। भविष्य की आवश्यकता केवल संख्यात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि "गुणवत्तापूर्ण मानव विकास" है। इसका अर्थ है ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करना जो शिक्षित हों, स्वस्थ हों, पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और नैतिक रूप से अपने कर्तव्यों को समझती हों। एक ऐसी आबादी जो संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना जानती हो, वही वास्तव में एक स्थायी भविष्य की नींव रख सकती है।

अंततः, यह स्पष्ट है कि केवल शिक्षाओं की पारंपरिक व्याख्याओं पर निर्भर रहना भविष्य की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। जल संकट, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या का दबाव एक-दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनका समाधान भी एक एकीकृत दृष्टिकोण की मांग करता है। इस्लामी विद्वानों, नीति-निर्माताओं और समुदायों को मिलकर एक सक्रिय, संतुलित और दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी। उन्हें धार्मिक ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ना होगा, ताकि इस "जीवनदायिनी अमानत" यानी जल का संरक्षण आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित किया जा सके और एक ऐसा भविष्य बनाया जा सके जहाँ जीवन न केवल संख्या में, बल्कि अपनी गुणवत्ता में भी समृद्ध हो।

भविष्य के परिदृश्य और नीतिगत सिफारिशें

इस विश्लेषण के आधार पर, भविष्य की राह केवल तकनीकी समाधानों में नहीं, बल्कि धार्मिक विमर्श और नीति-निर्माण के एकीकरण में निहित है।

अंतरग्रहीय बस्ती का यथार्थ: मंगल ग्रह पर बस्तियों की परिकल्पना पृथ्वी पर जल संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को कम नहीं करती, बल्कि यह पृथ्वी को मानवता के लिए एकमात्र व्यवहार्य "जीवन-नाव" (lifeboat) के रूप में स्थापित करती है।

धार्मिक विमर्श का नवीनीकरण: इस्लामी विद्वानों को मक्कासिद अल-शरिया और मस्लहा के संदर्भ में जल संरक्षण और सतत परिवार के महत्व पर एक समकालीन परिस्थिति जनित व्याख्यात्मक विमर्श शुरू करना चाहिए, जिसमें संख्या से अधिक गुणवत्ता पर जोर हो।

सतत जल प्रबंधन: सरकारों को जल-कुशल सिंचाई तकनीकों में निवेश करना चाहिए, जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए, और पानी की बर्बादी को हतोत्साहित करने वाली नीतियां बनानी चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता: स्कूली पाठ्यक्रम में इस्लामी पर्यावरण नैतिकता और संसाधन प्रबंधन को शामिल किया जाना चाहिए।

महिलाओं का सशक्तिकरण और शिक्षा: महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में सीधे तौर पर सहायक होते हैं और यह इस्लामी मूल्यों के अनुरूप भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. अल-कुरआन:

- सूरत अल-अंबिया (21:30)
- सूरत अल-अ'राफ़ (7:31)
- सूरत अल-कहफ़ (18:46)
- सूरत अत-तहरीम (66:6)

2. हदीस संग्रह

- सहीह अल-बुखारी: मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी द्वारा संकलित। यह हदीस संग्रह इस्लामी दुनिया में सबसे प्रामाणिक माना जाता है।
- सुनन अबू दाऊद: अबू दाऊद सुलेमान इब्न अल-अश'अथ अल-सिजिस्तानी द्वारा संकलित।
- जामिअत-तिर्मिज़ी: अबू ईसा मुहम्मद इब्न ईसा अल-तिर्मिज़ी द्वारा संकलित।
- सुनन इब्न माजा: इब्न माजा मुहम्मद इब्न यज़ीद द्वारा संकलित।

द्वितीयक स्रोत

3. इस्लामी न्यायशास्त्र और मक्कासिद अल-शरिया पर पुस्तकें:

- अल-शतिबी, इब्राहिम इब्न मूसा. *अल-मुवाफ़कात फ़ी उसूल अल-शरिया*. (यह पुस्तक 'मक्कासिद अल-शरिया' के सिद्धांत पर एक मौलिक कृति है)।
- इब्न आशूर, मुहम्मद अल-ताहिर. *मक्कासिद अल-शरिया अल-इस्लामिया*. (शरिया के उद्देश्यों पर एक महत्वपूर्ण आधुनिक कृति)।
- औदा, जस्सर. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट, 2008.

4. इस्लाम और पर्यावरण पर लेख और पुस्तकें:

- खालिद, फजलुन एम. *Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis*. Kube Publishing, 2019.
- ओज़देमिर, इब्राहिम. *The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: A Muslim Perspective*. (यह लेख इस्लामी दृष्टिकोण से पर्यावरण नैतिकता की पड़ताल करता है)।
- नसर, सैय्यद हुसैन. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. जॉर्ज एलन और अनविन, 1968.

5. जनसंख्या, परिवार कल्याण और इस्लाम पर अध्ययन:

- ओबेद, रुश्दी. "Islam, Population, and Family Planning: A Re-evaluation." *Journal of Muslim Minority Affairs*, वॉल्यूम 38, नंबर 2, 2018.
- रिआज़, अली और सी. क्रिस्टीन फेयर. *Political Islam and Governance in Bangladesh*. रूटलेज, 2010. (इसमें दक्षिण एशिया में जनसंख्या नीतियों पर इस्लामी दृष्टिकोण का उल्लेख है)।
- "Greece's demographic crisis: A 'national threat' as births fall to lowest in 92 years." (2024, January 30). *The Guardian*.
- "Japan, South Korea roll out new measures to boost birth rates amid demographic crisis." (2023, April 15). *Reuters*.
- संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, जनसंख्या प्रभाग. (2022). *विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022: सारांश*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन.